

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 31/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 जुलाई, 2023

सा.का.नि.... (अ)-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उपनियम (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, "गुजरात राज्य" शब्दों के पश्चात् "और पुडुचेरी राज्य" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित में सा.का.नि. सं. 248 (अ), तारीख 31 मार्च, 2023 में अधिसूचना सं. 5/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।